2008:CGHC:1449

**छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर**

**रिट याचिका सं. 3275/2006**

**याचिकाकर्ता** **श्रीमती आशा साहू**

**बनाम**

**उत्तरवादीगण** **छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**रिट याचिका सं. 3276/2006**

**याचिकाकर्ता:** **तृप्ति शर्मा**

**बनाम**

**उत्तरवादीगण** **: छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य**

**आदेश हेतु सूचीबद्ध : 19-12-2008**

**हस्ताक्षर/-**

**धीरेन्द्र मिश्रा**

**न्यायाधीश**

**छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर**

**रिट याचिका सं. 3275/2006**

**याचिकाकर्ता:** **श्रीमती आशा साहू पति रामाशंकर साहू आयु लगभग 32 वर्ष निवासी—सिविल लाइन, बलौदाबाजार, जिला रायपुर।**

**बनाम**

**उत्तरवादीगण:** **1.छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा - सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग,डी.के.एस. भवन, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)।**
**2.मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला रायपुर।**
**3.मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत कसडोल, जिला रायपुर।**
**4.मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद। पंचायत बलौदाबाजार, जिला रायपुर।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**&**

**याचिकाकर्ता:** **तृप्ति शर्मा, पति रामशंकर शर्मा, आयु लगभग 30 वर्ष, निवासी—सिविल लाइन, बलौदाबाजार, जिला रायपुर (छ.ग.)**

**बनाम**

**उत्तरवादीगण:** **1.छत्तीसगढ़ राज्य, सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, डी.के.एस. भवन, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)**

**2.मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,**

**जिला – रायपुर**

**3.मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद. पंचायत**

**कसडोल, जिला रायपुर।**

**4.मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत**

**बलौदाबाजार, जिला रायपुर**

**उपस्थित:**

**श्री प्रकाश तिवारी, अधिवक्ता—याचिकाकर्ताओं की ओर से**

**श्री अरुण साव, शासकीय अधिवक्ता—राज्य की ओर से**

**श्री पंकज श्रीवास्तव, अधिवक्ता— उत्तरवादी क्र. 3 एवं 4 की ओर से**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**आदेश**

**(दिनांक: 19 दिसम्बर, 2008 को पारित)**

**धीरेन्द्र मिश्रा, न्यायाधीश**

**1.उपरोक्त दोनों याचिकाओं का निराकरण एक सामान्य आदेश द्वारा किया जा रहा हैं क्योंकि दोनों याचिकाओं में न्यायनिर्णय हेतु विधि का समान्य प्रश्न सम्मिलित हैं।**

**2.याचिकाकर्ताओं ने इस याचिका में उत्तरवादी क्रमांक 1 द्वारा जारी (अनुलग्नक पी 1) दिनांक 27.10.2005 के परिपत्र में निहित शिक्षाकर्मी की स्थानांतरण नीति पर आपत्ति जताई है जिसके तहत पूर्व के दिशा निर्देशों दरकिनार करते हुये शिक्षाकर्मियों के स्थानांतरण के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और यह निर्णय लिया गया हैं जिन शिक्षाकर्मियों को उनके स्वयं के अनुरोध पर किसी अन्य जनपद पंचायत में स्थानांतरित किया जाता हैं वे स्थानांतरित जनपद पंचायत में कनिष्ठ श्रेणी में रखें जाएंगे।**

**3.दोनों याचिकाओं में संक्षेप तथ्य ये है कि याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति शिक्षा कर्मी ग्रेड-III के रूप में दिनांक 30.07.1998 को हुई थी तथा दिनांक 01.07.2002 को सेवाएं नियमित हुईं। दोनों याचिकाकर्ताओं को उनके पारस्परिक स्थानांतरण के अनुरोध पर दिनांक 21.08.2003 एवं**

दिनांक 24.12.2003 के आदेशों के माध्यम से उनका स्थानांतरण जनपद पंचायत बलौदाबाजार एवं जनपद पंचायत कसडोल द्वारा किया गया (अनुलग्नक पी 4)। याचिकाकर्ताओं की शिकायत यह है कि अनुलग्नक पी 1 की स्थानांतरण नीति याचिकाकर्ताओं के मामले में लागू नहीं की जा सकती क्योंकि उनके स्थानांतरण वर्ष 2003 में हुए थे जबकि नई नीति 2005 में लागू हुई और इसे पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं दिया जा सकता है और उनकी वरिष्ठता उनकी प्रारंभिक नियुक्ति तारीख से मानी जानी चाहिए, न कि उस तारीख से जब उन्होंने अनुरोध पर अपने स्थानांतरण के बाद एक अलग जनपद पंचायत में कार्यभार संभाला था, छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के अंतर्गत 7 वर्ष की सेवा के पूरी करने के बाद वे पदोन्नति के लाभ के हकदार हैं।

4.याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति म.प्र. पंचायत शिक्षा कर्मी (भर्ती एवं सेवा की शर्तें) संक्षेप में नियम, 1997 के अंतर्गत की गई थी, इसीलिए नियम 1977 में उल्लेखित आधारों के अलावा उनकी वरिष्ठता प्रभावित नहीं हो सकती।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. दूसरी ओर उत्तरवादी अधिवक्ता ने अलग-अलग जवाबदावा में समान दलील दी कि याचिकाकर्ताओं उनके स्वयं के अनुरोध पर एक जनपद पंचायत से दूसरे जनपद पंचायत में स्थानांतरित किया गया था। जहां किसी विशेष पद को धारण करने वाले किसी सरकारी कर्मचारी को उसी संवर्ग में उसी पद पर स्थानांतरित किया जाता हैं, स्थानांतरण से स्थानांतरण की तिथि तक पद पर उसकी सेवा की अवधि समाप्त नहीं होगी और वरिष्ठता के प्रयोजनों के लिए उसके स्थानांतरण से पहले पद पर सेवा की अवधि को ध्यान में रखना चाहिए। हालाँकि, जहाँ किसी सरकारी कर्मचारी को उसके स्वयं के अनुरोध पर किसी भिन्न संवर्ग में स्थानांतरित किया जाता है, स्थिति में ऐसे कर्मचारी को अपने स्थानांतरण की तिथि तक अपनी वरिष्ठता त्यागनी होगी और उसे विभाग के नए संवर्ग में सबसे कनिष्ठ कर्मचारी से नीचे रखा जाएगा। ऐसे कर्मचारी को उस विभाग

**के कर्मचारियों की वरिष्ठता को बाधित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती जिसमें उसका स्थानांतरण हुआ है।**

**6. उत्तरवादी क्रमांक 3 और 4 के विद्वान अधिवक्ता श्री पंकज श्रीवास्तव का तर्क है कि चूँकि वर्तमान मामले में याचिकाकर्ताओं ने अपना स्थानांतरण एक अलग जनपद पंचायत में करवा लिया है, इसलिए स्थानांतरित जनपद पंचायतों में उनकी वरिष्ठता उनकी कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से मानी जाएगी और उन्हें उनकी श्रेणी में सबसे नीचे रखा जाएगा। के.पी. सुधाकरन एवं अन्य बनाम केरल राज्य एवं अन्य[1] मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयानुसार अवलंबन लिया गया हैं|**

**श्री श्रीवास्तव ने याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क को खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ताओं की सेवा शर्तें नियम, 1997 और शिक्षाकर्मियों के स्थानांतरण के लिए जारी दिनांक 14.5.2003 के दिशा-निर्देशों (अनुलग्नक पी-7) द्वारा शासित होंगी और दिनांक 27.10.2005 के अनुलग्नक पी-1 के दिशा-निर्देशों को पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं दिया जा सकता है, यह तर्क दिया गया कि नियम, 1997 में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है शिक्षाकर्मियों को एक जनपद पंचायत से दूसरी जनपद पंचायत में स्थानांतरित करने के संबंध में वर्तमान मामले में छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (भर्ती एवं सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1999 (संक्षेप में 'नियम, 1999') के प्रावधान लागू होंगे, जिसके अनुसार, जहाँ पंचायत सेवा के किसी कर्मचारी द्वारा किए**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**गए आवेदन पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति की जाती है, वहाँ इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति को उस पद के संवर्ग में वरिष्ठता के प्रयोजनों के लिए सबसे कनिष्ठ पद प्राप्त होगा जिस पर उसकी नियुक्ति की गई है। अनुलग्नक पी-7 के दिशानिर्देश केवल शिक्षाकर्मी के स्थानांतरण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया प्रदान करते हैं और वरिष्ठता नियम, 1999 के नियम 27 द्वारा शासित होगी।**

**7. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है।**

**8. इन याचिकाओं में विचारणीय एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या याचिकाकर्ता, जो एक जनपद पंचायत में शिक्षाकर्मी के रूप में नियुक्त किये गये हैं,तत्पश्चात उक्त जनपद पंचायत में नियमित किये गये तथा नियमितीकरण के पश्चात् उनका स्थानांतरण किसी अन्य जनपद पंचायत में कर दिया गया, वे स्वयं के अनुरोध पर किसी अन्य जनपद पंचायत में स्थानांतरण के पश्चात् भी अपनी मूल नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता का दावा कर सकते हैं।**

**9. अनुलग्नक पी-7 का दस्तावेज़, अर्थात 14.5.2003 को जारी परिपत्र, शिक्षाकर्मियों के स्थानांतरण के संबंध में केवल दिशानिर्देश प्रदान करता है और इसमें शिक्षाकर्मियों की वरिष्ठता निर्धारित करने की प्रक्रिया का कोई प्रावधान नहीं है। नियम 1997 में भी शिक्षाकर्मियों के स्थानांतरण से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है। नियम 11 में सेवा की सामान्य शर्तों का प्रावधान है और उसे नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:-**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**11. सेवा की सामान्य शर्तें - ऊपर वर्णित के अलावा अन्य सेवा की शर्तें वही होंगी जो जनपद के अन्य कर्मचारियों पर लागू होती हैं।**

**"पंचायत या जिला पंचायत, जैसा भी मामला हो।"**

**नियम, 1997 का नियम 27 इस प्रकार है;-**

**27. पंचायत कर्मचारी की नियुक्ति और उसकी पंचायत:-sa इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी, किसी अन्य पंचायत की पंचायत सेवा के किसी कर्मचारी द्वारा किए गए आवेदन पर, ऐसे कर्मचारी को पंचायत सेवा में समान या समकक्ष पद पर ऐसे नियमों और शर्तों पर**

---

**'(2006) 5 SCC 386**

**नियुक्त कर सकेगा जो दोनों पंचायतों के बीच पारस्परिक रूप से सहमत हो और निम्नलिखित शर्तों के अधीन, अर्थात्-**

**(i) ऐसी नियुक्ति पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद पर नहीं की जाएगी।**

**(ii) इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति को वरिष्ठता के प्रयोजनार्थ, उस पद के संवर्ग में, जिस पर वह नियुक्त किया गया है, सबसे कनिष्ठ पद प्राप्त होगा, जैसा कि ऐसी नियुक्ति की तिथि को विद्यमान है।"**

**उपरोक्त प्रावधान शिक्षाकर्मी ग्रेड-III की सेवा शर्तों पर भी नियम 1997 के नियम 11 के आधार पर लागू होते हैं।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**10. उपरोक्त प्रावधानों के दृष्टिगत, यह स्पष्ट है कि दिनांक 27.10.2005 का आक्षेपित परिपत्र केवल नियम, 1999 के नियम 27 के प्रावधानों को स्पष्ट करता है।**

**11. वैसे भी, यह स्थापित कानून है कि जहां कर्मचारी को उसके स्वयं के अनुरोध पर किसी अन्य विभाग/इकाई में स्थानांतरित किया जाता है, ऐसे कर्मचारी की वरिष्ठता केवल नए विभाग में उसके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से ही मानी जाएगी तथा उसे पिछली सेवा छोड़नी होगी।**

**12. के.पी. सुधाकरन एवं अन्य के मामले में पैरा-11 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार निर्णय दिया है:-**

**"11. सेवा न्यायशास्त्र में, सामान्य नियम यह है कि यदि किसी विशेष पद पर आसीन किसी सरकारी सेवक को उसी संवर्ग में उसी पद पर स्थानांतरित किया जाता है, तो स्थानांतरण से स्थानांतरण की तिथि तक उस पद पर उसकी सेवा अवधि समाप्त नहीं होगी और स्थानांतरित पद में वरिष्ठता की गणना करते समय उसके स्थानांतरण से पूर्व उस पद पर सेवा की अवधि को ध्यान**

**में रखा जाना चाहिए। लेकिन जहाँ किसी सरकारी कर्मचारी का स्थानांतरण उसके स्वयं के अनुरोध पर किया जाता है, वहाँ स्थानांतरित कर्मचारी को स्थानांतरण की तिथि तक अपनी वरिष्ठता त्यागनी होगी और उसे नए संवर्ग या विभाग में उस श्रेणी के सबसे कनिष्ठ कर्मचारी से नीचे रखा जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी सरकारी कर्मचारी को, जो अपने व्यक्तिगत कारणों से किसी अन्य इकाई या विभाग में स्थानांतरित होने पर उस विभाग के कर्मचारियों की वरिष्ठता को प्रभावित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यह दावा करके कि जिस विभाग से उसका स्थानांतरण हुआ है, उसमें उसकी सेवा को ध्यान में रखा जाना चाहिए, ऐसा इसलिए भी है क्योंकि किसी संवर्ग में किसी विशेष पद पर नियुक्त व्यक्ति को उस संवर्ग की संख्या और संवर्ग के लिए तैयार की गई वरिष्ठता सूची के आधार पर पदोन्नति की संभावनाओं का पता होना चाहिए और बाहर से किसी भी अतिरिक्त पद को जोड़ने से ऐसी संभावनाओं में बाधा उत्पन्न होगी। हालाँकि, यह मामला संबंधित सेवा नियमों द्वारा शासित है।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**13. उपर्युक्त कारणों से, याचिकाकर्ताओं का यह तर्क कि अनुलग्नक पी-1 की स्थानांतरण नीति पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू नहीं होती और याचिकाकर्ताओं की सेवा शर्तें वर्ष 2003 में जारी अनुलग्नक पी-7 के परिपत्र द्वारा शासित होती हैं, जिसमें ऐसा कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है कि शिक्षाकर्मी के स्वयं के अनुरोध पर किसी अन्य जनपद पंचायत में स्थानांतरित होने पर, उसकी वरिष्ठता स्थानांतरित स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से मानी जाएगी, निराधार है। अनुलग्नक पी-1 के दिनांक 27.10.2005 के इस परिपत्र में केवल निम्नलिखित शामिल हैं:**

**किन परिस्थितियों में शिक्षाकर्मियों को स्थानांतरित किया जा सकता है, इसके बारे में दिशानिर्देश जारी किए गए हैं और नियम 1999 के नियम 27 के प्रावधानों को दोहराया गया है कि ऐसे स्थानांतरित शिक्षाकर्मियों को उस श्रेणी में सबसे कनिष्ठ माना जाएगा, जहां वे स्थानांतरण के बाद शामिल हुए थे।**

**14. नियम 1997 के अनुसार, शिक्षाकर्मी ग्रेड-III केवल तभी पदोन्नति का हकदार है जब अभ्यर्थी स्नातक हो और उसके पास सात वर्ष का शिक्षण अनुभव हो। चूँकि याचिकाकर्ताओं की वरिष्ठता वर्ष 2003 से मानी जानी है, इसलिए पदोन्नति के लिए उनके मामलों पर सात वर्ष का अनिवार्य शिक्षण अनुभव पूरा होने के बाद ही विचार किया जा सकता है।**

**15. उपर्युक्त कारणों से, इन याचिकाओं में कोई सार नहीं है, ये खारिज किये जाने योग्य हैं और तदनुसारखारिज की जाती हैं। वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया जाता हैं।**

**16. इस आदेश की एक प्रति रिट याचिका क्रमांक 3276/06- तृप्ति शर्मा बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य में रखी जाए।**

**हस्ताक्षर**

**धीरेन्द्र मिश्रा**

**न्यायाधीश**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

**Translated By Ms Mamta Gupta Adv**